संख्या-44 /2025/001-551-1741675-12-2099-1-2023

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2025

विषय:- प्रदेश में ''आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना'' के क्रियान्वयन हेतु "राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई" के प्रत्यक्ष संरक्षण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित एफ ०पी०ओ० सेल के संचालन हेतु स्वीकृत विशेषज्ञों एवं सर्पोट स्टॉफ को रखे जाने एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि रूपये 275 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या -दलहन - 99 / एफ 0 पी0ओ0/2025-26, दिनांक 06 मई, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ''आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना'' के क्रियान्वयन हेतु "राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन इकाई" के प्रत्यक्ष संरक्षण तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में गठित एफ 0 पी0ओ0 सेल के संचालन हेतु विशेषज्ञों एवं सर्पोट स्टॉफ को रखे जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म - 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -05-आत् मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के मानक मद 42 - अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 5000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रूपये 275.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाईन्स / दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी ।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा ।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही करते हुए व्यय विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृति न हो ।

(8) धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(9) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

(10) आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-90/2442/1487590/12-2099/177/2021/2921-03/2021, दिनांक 07 दिसम्बर 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(11) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

(12) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में रक्षित नही की जायेगी।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण / व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,75,00,000 (रुपये दो करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090500 आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-44/2025/001-551-1741675-12-2099-1-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) - प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।

4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / बजट अनुभाग-1 / 2 / कृषि अनुभाग-5 / नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,

6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।